तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/2025	पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/ अवकाश में होने से पत्रावली दिनांक 13/6/25 को पेश हो रीडर	
13.6.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। सहायक कलेक्टर [illegible]	

Realu
check & report
मार्टी
29/07

सेवामें,

श्रीमान् न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी लोहावट

जिला फलौदी।

राजस्व प्रार्थना पंत्र संख्या /2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. कुम्बाराम पुत्र तुलच्छाराम जाति जाट निवासी कपुरियां तहसील बापिणी ज़िला फलौदी।		1. जोगाराम दतक पुत्र मोडाराम 2. बाबुराम पुत्र कानााराम 3. सोनाराम पुत्र कानाराम 4. राजी पत्नी धन्नाराम 5. खेताराम पुत्र मुलाराम 6. धन्नाराम पुत्र पुनाराम 7. नेनाराम पुत्र पुनाराम 8. रामपाल पुत्र पुनाराम 9. प्रतापराम पुत्र देवाराम 10. झमकु पत्नी पुनाराम 11. बाबुराम पुत्र देवाराम 12. भोमाराम पुत्र देवाराम 13. हडमानराम पुत्र देवाराम 14. धापु पत्नी देवाराम सभी जाति जाट निवासी कपुरियां तहसील बापिणी जिला जोधपुर। 15. तहसीलदार बापिणी जरीये भूमिधारी राजस्थान सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पत्थरगढी करवाने बाबतं।

मान्यवरजी,

प्रार्थी की ओर से निम्न निवेदन है कि –

1. यह है कि प्रार्थी एवं अन्य पडौसीयों की खातेदारी भूमि तहसील बापिणी के पटवार मण्डल बापिणी के राजस्व ग्राम बापिणी में खसरा नम्बर 890 रकबा 3.5531 हैक्टेयर, 892 रकबा 0.9389 हैक्टेयर, एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि

खसरा नम्बर 889, 890/2, 890/1, 890/2 व 891 भूमि आयी हुई है। जिसकी चालू चौसाला जमाबन्दी व नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र पेश है।

2. यह है कि प्रार्थीगण के उपरोक्त खातेदारी भूमि के चिपते ही उत्तरी व दक्षिणी दिशा की ओर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 889, 890/1, 890/2, 891 व 892 की भूमि आयी हुई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी के मध्य सीमाचिन्ह नदारद होने के कारण प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के लिए तहसीलदार बापिणी के समक्ष आवेदन कर नियमानुसार पैमाईश फिस अदा कर पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार बापिणी द्वारा दिनांक 20.06.2024 को आदेश कमांक 28 से हल्का पटवारी को सिमाज्ञान करने के लिए आदेश्ति किया गया।

3. यह है कि तहसीलदार बापिणी के पैमाईश आदेश की पालना में हल्का पटवारी बापिणी द्वारा दिनांक 22.06.2024 को मौके पर आकर विधिवत पैमाईश की गयी ओर मौके पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य नदारद सिमाचिन्हो का निर्धारण कर कच्चे मुटाम स्थापित करवाये गये। ओर कणा माट के चिन्ह बताये गये। मौका फर्द सलग्न है।

4. यह है कि हल्का पटवारी द्वारा पैमाईश कर बताये गये कणा माट के चिन्हौ के अनुसार प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि में बोई फसल की आवारा पशुओ से सुरक्षा के लिए जाली तारबन्दी करने के लिए पत्थर के खम्भे लाकर डाले गये ओर पत्थर रोपना शुरू किये गये तो अप्रार्थीगण ने मौके पर आकर प्रार्थीगण को कणा माट पर हल्का पटवारी द्वारा स्थापित कच्चे मुटामो पर पत्थर रोपने से मना कर दिया ओर हल्का पटवारी द्वारा स्थापित कच्चे रेत के मुटाम को ध्वस्त कर दिया ओर पैमाईश को मानने से इनकार कर दिया ओर ऐलानिया कहा की हम किसी पटवारी को नही मानते है ओर न ही इन मुटामो को मानते है इन पर कोई जाली तारबन्दी या पत्थर रोपने नही देगे। तो प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन अप्राथीगण माने नही। इसलिए मजबुर विवश होकर यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है।

5. यह है कि अप्रार्थीगण आये दिन सिमाचिन्ह को लेकर प्रार्थी से वाद विवाद करने के लिए उतारू रहते है। इसलिए प्रार्थी अपने खेत में फसल की सुरक्षा के लिए पत्थरगढी नही करवा पा रहा है जिससे प्रार्थी के लाखो रूपये की किमती

फसल आवारा पशुओ द्वारा नष्ट कर दि जाती है। पत्थरगढी के अभाव में प्रार्थी को भारी परेशानियो का सामना करना पड़ता है।

6. यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के हल्का पटवारी द्वारा की गयी पैमाईश को पड़ौसी खातेदारान द्वारा नही माना गया ओर हल्का पटवारी द्वारा स्थापित मुटामो को पड़ौसी खातेदारो द्वारा नष्ट कर दिये गये ओर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के निशानात पर पत्थर रोपने से पड़ौसी खातेदारान ने मना कर दिया ओर विवाद करने लग गये जिससे मजबुर विवश होकर अपनी खातेदारी भूमि का पत्थरगढी करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश है।

7. यह है कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की कणा माठों पर सीमा चिन्ह के आधार पर पत्थर गढढी करवाना चाहता है तथा पत्थर गढढी हो जाने से प्रार्थीगण की भुमि का समूचित विकास एंव खेत की सुरक्षा हो सकें फसलों को नुकशान से बचाया जा सके और पड़ौसियांन के बीच अनावश्यक सिमा विवाद उत्पन्न होने से बचने के लिए स्वम के खेत की कृर्षि भुमि की पत्थर गढढी करवाने के अधिकारी है और पड़ौसियान के मघ्य सीमाओं को लेकर कोई विवाद ज्यादा नहीं बढे इसलिए राजस्व टिम से सीमाकनं व पत्थर गढढी करवाना चाहते है।

8. यह है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के पड़ौसी खातेदार के मध्य अनावश्यक सीमा विवाद उत्पन्न होता रहता है इससे तंग–हेरान् होकर मजबूर एवं विवश होकर यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है ताकि विवाद और आगे अधिक नही बढे। और यह प्रार्थना पत्र नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार किया जा कर सिमाकन टीम गठित कर पत्थर गढढी करने का आदेश प्रदान कराया जावें

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील बापिणी के पटवार मण्डल बापिणी के राजस्व ग्राम बापिणी के खसरा नम्बर 890 रकबा 3.5531, खसरा नम्बर 892 रकबा 0.9389 हैक्टेयर व उत्तरी व दक्षिणी दिशा की सीमा अर्थात प्रार्थी की भूमि एवं अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य की सीमा का राजस्व टीम गठीत करवाकर, सीमांकन किया जाकर पत्थर गढी करवाने का आदेश तहसीलदार बापिणी को प्रदान करावें और मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए भार साधक अधिकारी को मौके पर जाब्ता उपलब्ध करवाने के लिए पाबन्द करावें। आपकी अति कृपा होगी। इति दिनांक 15.07.2024

राजूराम चौधरी (पत्नी)
एडवोकेट